न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारीः सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रकरण संख्या : 14/2018

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नांगल राजावतान

प्रार्थी

बनाम

1. भागीरथ पुत्र बालाबक्स जाति मीणा निवासी श्यालावास नांगल राजावतान जिला दौसा।

अप्रार्थी

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 सहपठित धारा 232 आरटीए

उपस्थिति : राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।
: श्री भरतलाल मीना अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित।

:–निर्णयः–

दिनांकः 24.12.2024

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार(भूमिधारी) तहसील नांगल राजावतान ने प्रतिनिधि राजस्थान सरकार की हैसियत से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 की अनुपालना में यह रेफरेन्स इस न्यायालय में पेश किया है।

रेफरेन्स प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गई। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री भरतलाल मीना उपस्थित आये। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम श्यालावास तहसील दौसा हाल तहसील नांगल राजावतान स्थित भूमि खसरा नम्बर 23/1064 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 23/1065 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 23/1064 मिन रकबा 5 बिस्वा सम्वत 2003 में किस्म गैर मुमकिन नाला दर्ज रिकार्ड थी। भूमि एकीकरण अभिलेख सम्वत 2018 में उक्त खसरा नम्बरान के परिवर्तित खसरा नम्बर 14 रकबा 2 बिस्वा, 15 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 16 रकबा 6 बिस्वा, 17 रकबा 62 बीघा 5 बिस्वा गैर मुमकिन नाला बने। भूमि बन्दोबस्त अभिलेख 2041–2060 की संक्रिया में उक्त खसरा नम्बरान से खसरा नम्बर 111 रकबा 0.48 है. किस्म गैर मुमकिन नाला बने। सम्वत 2060–63 में उक्त भूमि खसरा नम्बर 111 रकबा 0.48 है. गैर मुमकिन नाला भागीरथ पुत्र बालाबक्स जाति मीना निवासी श्यालावास तहसील नांगल राजावतान को आवंटन आदेश दिनांक 28.06.2000 द्वारा आवंटित की गई। जमाबन्दी सम्वत 2072–75 में उक्त भूमि खसरा नम्बर 111 रकबा 0.48 है. भागीरथ पुत्र बालाबक्स के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि पूर्व में गैर मुमकिन नाला की भूमि दर्ज रिकार्ड रही है। गैर मुमकिन नाला की भूमि को अप्रार्थी भागीरथ पुत्र बालाबक्स को आवंटित की गई थी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 2.8.2004 से राज्य सरकार को ऐसे प्रकरणों को निरस्त कर ऐसी जलोद गैर मुमकिन भूमियों को पुनः पूर्वानुसार दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये है। अतः तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण स्वीकार फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:12:07 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि अप्रार्थी को यह भूमि आवंटन आदेश दिनांक 28.06.2000 के द्वारा आवंटन कमेटी की सिफारिश पर विधिवत रूप से आवंटित की गई थी। जिस पर आवंटी लगातार काश्त करता आ रहा है। अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है। मौके पर भूमि नदी नाले के बहाव के रूप में नहीं है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी के विरूद्ध रेफरेन्स प्रकरण चलने योग्य नहीं है। अतः रेफरेन्स प्रकरण खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम श्यालावास तहसील दौसा हाल तहसील नांगल राजावतान स्थित भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 111 रकबा 0.48 है. गैर मुमकिन नाला भागीरथ पुत्र बालाबक्स जाति मीना निवासी श्यालावास तहसील नांगल राजावतान को आवंटन आदेश दिनांक 28.06.2000 द्वारा आवंटित की गई। जिसके साबिक खसरा नम्बर 23/1064 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 23/1065 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 23/1064 मिन रकबा 5 बिस्वा सम्वत 2003 में किस्म गैर मुमकिन नाला दर्ज रिकार्ड थे। उक्त भूमि पूर्व में गैर मुमकिन नाला की भूमि दर्ज रिकार्ड रही है। गैर मुमकिन नाला की भूमि को अप्रार्थी भागीरथ पुत्र बालाबक्स को आवंटित की गई थी। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से राजकीय अधिवक्ता के कथनों की पुष्टि होती है कि विवादग्रस्त आराजी पूर्व में गैर मुमकिन नाला की भूमि दर्ज रिकॉर्ड रही है। ऐसी स्थिति में प्रकरण राजस्व मण्डल को रेफर किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है। विवादग्रस्त आराजी की पूर्व स्थिति कायम किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को पेश करने हेतु मूल पत्रावली तहसीलदार नांगल राजावतान को भिजवाकर निर्देशित किया जाता है कि राजकीय अभिभाषक न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से सम्पर्क कर प्रकरण न्यायालय में दर्ज करवावें एवं प्रकरण में समय पर समुचित पैरवी करना सुनिश्चित करें। पत्रावली तहसीलदार नांगल राजावतान को भिजवाई जावे व फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:12:07 IST
Reason: SelfAttested